राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1507

दिनांक 3/7/17

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व अपील सं. 03 / 16 अन्तर्गत धारा 75 भू.रा.अ. अनवान शाह कंवर बनाम ग्राम पंचायत वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अपील में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.17 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

***राजस्व अपील :– 03/16 अन्तर्गत धारा 75* RLR Act**

अपीलॉन्ट :– 1.शाह कंवर पत्नि उतमा 2.कवरों पुत्री उतमा
जाति पुरोहित, निवासी डूंगरपुरा, तहसील चौहटन।

बनाम

उतरदातागण :– 1.सरपंच ग्राम पंचायत सणाऊ
2.निम्बा पुत्र उतमा 3.मोटा पुत्र उतमा के का.मु.:– धापूकंवर पत्नि मोटा
4.चनणा 5.कुम्पा पि.आईदान 6.शंकरा 7.नारणा 8.किशन 9.रामा पि.भंवरा
10.जमना पत्नि भंवरा, जाति पुरोहित, निवासी डूंगरपुरा, तहसील चौहटन।

उपस्थिति वकील अपीलॉन्टः– श्री जगदीश पोटलिया

उतरदातागण वकील :–

निर्णय

दिनांक 13.06.2017

अपीलाण्ट की अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व उतरदातागण एक ही परिवार के सदस्य है एवं स्व.भूपाराम की औलाद है। पैतृक आराजी मौजा डूंगरपुरा तहसील चौहटन में खसरा सं. 284 रकबा 35.01 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 115.03 बीघा, खसरा सं. 405/286 रकबा 16.17 बीघा , कुल रकबा 167.01 बीघा का आया हुआ है। जिसमें उतरदाता के साथ अपीलार्थीगण का हिस्सा है। विवादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट अपीलार्थी के पूर्व पुरूष उतमा व उनके भाईयों के नाम थी। उतमा के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 14.06.1974 को खोलते वक्त उतरदाता सं. 1 ने उतमा के विधिक वारिसों की जांच किये बिना उतरदाता सं. 2 व 3 के नाम से खोल दिया। जबकि अपीलार्थीगण को उतरदाता सं. 2 व 3 के साथ सहखातेदार घोषित करना था। इस प्रकार जो नामान्तरकरण 14.06.1974 को खोला गया वो अपीलार्थीगण के लिए प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्त करवाने योग्य है। जिसके लिए अपीलार्थीगण ने अपील पेश की है।

अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोट कैम्प सणाऊ में दिनांक 13.06.17 को पेश

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

हुई। वकील अपीलार्थीगण उपस्थित हुए तथा उतरदातागण उपस्थित हुए। वकील अपीलार्थीगण को सुना गया। उतरदातागण की ओर से उतरदाता सं. 2 निम्बा पुत्र उतमा, उतरदाता सं. 6 शंकरा पुत्र भंवरा, उतरदाता सं. 9 के बयान कलम बद्ध करवाये गये। गांव के मौतबिरान तनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत के बयान कलमबद्ध करवाये गये।

जिसमें कहा गया कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरे मौजा डूंगरपुरा तहसील चौहटन में आये हुए है। वक्त सेटलमेन्ट अपीलार्थी के पूर्व पुरूष उतमा व उनके भाईयों के नाम थी। उतमा के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 14.06.1974 को खोलते वक्त उतरदाता सं. 1 ने उतमा के विधिक वारिसों की जांच किये बिना उतरदाता सं. 2 व 3 के नाम से खोल दिया। जबकि अपीलार्थीगण को उतरदाता सं. 2 व 3 के साथ सहखातेदार घोषित करना था।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश समस्त साक्ष्यों, सबूतों की गहनता से जांच की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 14.06.1974 को पारित करते समय में उतरदाता सं. 1 द्वारा स्व.उतमा के वैध वारिशों की जांच किये बिना उतरदाता सं. 2 व 3 का नाम नामान्तरकरण में शामिल कर दिया गया जो अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराघात है। चूंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलार्थीगण भी उतमा के वैध वारिश है अतः अपीलार्थीगण को उतरदाता सं. 2 व 3 के साथ सहखातेदार घोषित करना था। लेकिन उतरदाता सं. 1 द्वारा ऐसा नहीं करके अपीलार्थीगण के हितों पर कुठाराघात किया गया। इस प्रकार नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 14.06.1974 अपीलार्थीगण के लिए शून्य है।

अतः अपील में प्रस्तुत प्रकरण तथा तथ्यों के अवलोकन के निष्कर्ष के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील को स्वीकार किया जाकर पूर्व में उतरदाता सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 14.06.1974 निरस्त किया जाता है एवं उपरोक्त आराजी मौजा डूंगरपुरा तहसील चौहटन में खसरा सं. 284 रकबा 35.01 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 115.03 बीघा, खसरा सं. 405/286 रकबा 16.17 बीघा , कुल रकबा 167.01 बीघा में अपीलार्थीगण को सहखातेदार घोषित करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सणाऊ में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन